न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	हरीश कुमार, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	03/2015
CIS NO.	03/2015
CNR NO.	RJCH020016042015
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	63/2015
अंतर्गत धारा	3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
पुलिसथाना	हमीरवास

सरकार

बनाम

दलीप पुत्र शीशराम उम्र 31 साल, निवासी लोहसना बडा पुलिस थाना दुधवाखारा जिला चूरू (राज.) ।

अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धाराः 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता-श्री विकास खडोलिया वास्ते अभियुक्त ।

Date of Offence	08.04.2015
Date of FIR	08.04.2015
Date of Chargesheet	25.06.2015
Date of Framing Charges	03.09.2016
Date of Commencement evidence	04.03.2017
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	24.03.2026
Arguments heard on	24.03.2026
Date of the Judgement	24.03.2026

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

CNR NO. RJCH020016042015

-: निर्णय :- **दिनांकः-24.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.04.2015 के वक्त 8.30 A.M. पर एस.एच.ओ. मदन लाल बिश्नोई मय हमराही मुलाजमान के बाद गश्त हाजिर आये व श्रीमान सी.ओ. साहब राजगढ द्वारा मुर्तिबा एक किता फर्द इस आश्य की कि दिनांक 08.04.2015 के वक्त 06.15 A.M. पर श्री मदन लाल बिश्नोई SHO PS हमीरवास ने जरिये टेलिफोन ज्ञानप्रकाश नवल वृताधिकारी राजगढ़ को अवगत करवाया कि एक पिकअप गाडी नं. RJ-10-GA-6779 को 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया है। जिसमें अवैध डीजल व पेट्रोल भरा हुआ है जिस पर वृताधिकारी ज्ञानप्रकाश नवल RPS मय देवेन्द्र कुमार कमाण्डो जीप सरकारी ड्राईवर राजेन्द्र सिंह के कार्यालय राजगढ़ से रवाना होकर वक्त 06.30 ए. एम. पर टी पॉईन्ट हरपालू पहुंचा तो मदन लाल बिश्नोई SHO PS हमीरवास ने एक पिकअप गाड़ी को खड़ा कर रखा था तथा पिकअप ड्राईवर को बैठा रखा था । वृताधिकारी द्वारा पिकअप गाड़ी को चैक किया गया तो पिकअप के आगे पीछे नम्बर Rj-10-GA-6779 की नम्बर प्लेट लगी हुई थी पिकअप का डाला खोलकर चैक किया गया तो डाला में चार ड्रम डिजल व दो जरिकन पेट्रोल भरे हुए मिले। काबू कर रखे पिकअप चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम दलीप पुत्र शीशराम जाति जाट उम्र 20 साल निवासी लोहसना बड़ा थाना दुधवाखारा होना बताया। जिसको पिकअप गाड़ी में परिवहन किये जा रहे डीजल व पेट्रोल तेल हरियाणा से लाना बताया तथा प्रति ड्रम में 200 लीटर डीजल होना बताया तथा जरिकनों में 30-30 लीटर पेट्रोल होना बताया। शख्स दलीप से इतनी मात्रा में डीजल व पेट्रोल तेल परिवहन करने बाबत लाईसेंस / परमिशन पूछा गया तो नहीं होना बताया तथा डीजल तथा पेट्रोल अवैध रूप से परिवहन करना बताया। पिकअप डाले में कुल चार ड्रम थे जिनमें दो लोहे के व दो ड्रम प्लास्टिक के थे जिसमें प्रत्येक में 200 लीटर डीजल तेल था कुल 800 लीटर डीजल तेल था तथा दो प्लास्टिक जरिकन जिसमें 30-30 लीटर पेट्रोल तेल था कुल 60 लीटर पेट्रोल था। हरियाणा व राजस्थान में डीजल व पेट्रोल के भावान्तरण के कारण शख्स दलीप द्वारा हरियाणा राज्य से अवैध रूप से डीजल पेट्रोल तेल भरकर परिवहन करना पाया.....इत्यादि।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

2. उक्त जब्ती के आधार पर पुलिसथाना हमीरवास, चूरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 63/2015 अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर अनुंसधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध उक्त धारा में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
3. अभियुक्त को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।
4. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः-

S.No.	Rank	Name	Nature of evidence
1	पी.डब्ल्यू. 1	देवेन्द्र सिंह	ताईद वाका
2	पी.डब्ल्यू. 2	सुमेर सिंह	मालखाना इंचार्ज
3	पी.डब्ल्यू. 3	सुनिल कुमार	ताईद वाका
4	पी.डब्ल्यू. 4	मुकेश कुमार	ताईद वाका
5	पी.डब्ल्यू. 5	महेन्द्र कुमार	ताईद वाका
6	पी.डब्ल्यू. 6	शीशराम	नोटिस धारा 133 एम वी एक्ट की ताईद
7	पी.डब्ल्यू. 7	सुनिता	एफ एस एल कैरियर बाबत
8	पी.डब्ल्यू. 8	मदन लाल	हालात तसीशी व चार्जशीट बाबत
9	पी.डब्ल्यू. 9	ज्ञानप्रकाश नवल	ताईद एफ आई आर

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य, निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी.1	फर्द जप्ती
2	प्रदर्श पी.2	मालखाना रजिस्टर
3	प्रदर्श पी.3	फर्द गिरफ्तारी
4	प्रदर्श पी.4	आरसी की प्रमाणित प्रति
5	प्रदर्श पी.4	नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी.5	अग्रेषण पत्र
7	प्रदर्श पी.6	एफ एस एल प्राप्ति रशीद
8	प्रदर्श पी.7	रवानगी रपट
9	प्रदर्श पी.8	सीजर मीमो
10	प्रदर्श पी.9	चाक एफ आई आर
11	प्रदर्श पी.10	रवानगी रपट
12	प्रदर्श पी.11 व 12	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति
13	प्रदर्श पी.13	एफ एस एल रिपोर्ट

6. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया, झूठा फंसाने का कथन किया व जाहिर किया कि वह निर्दोष है एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर बंद की गई।
7. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -

    1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2015 को समय 06.35 ए.एम. पर स्थान ग्राम हरपालू में आपकी कब्जेशुदा पीकअप आर.जे. 10 जीए 6779 में चार ड्रम में भरा कुल 800 लीटर डीजल तेल व दो जरीकेन में भरा कुल 60 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ, जिसको**

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत आपके पास कोई लाईसेन्स अथवा परमिट नहीं पाया गया। बरामदशुदा डीजल/पेट्रोल राजस्थान पट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1990 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी राजस्थान राजपत्र एफ 17 (24) खा.वि./विधि/90 दिनांकित 11.04.2005 में तय मात्रा से अधिक है?

2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

8. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत दौराने बहस अभियुक्त दलीप की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही तत्कालीन सीओ राजगढ श्रीज्ञानप्रकाश नवल द्वारा की गई है । संपूर्ण कार्यवाही में पुलिसकर्मी गवाह है । किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया गया है । धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता की पालना नहीं की गई है । अभियुक्त के अनन्य व सचेतन कब्जे से डीजल व पेट्रोल की बरामदगी नहीं हुई है । अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा में डीजल अथवा पेट्रोल अपने कब्जे में रख सकता है । गवाह बयानात में गंभीर विरोधाभास एवं पारस्परिक संपुष्टि का अभाव है । अंततः अभियुक्त दलीप सिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का आरोप है। हस्तगण प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा कुल 09 गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। साक्षी **पी.डब्ल्यू.1 देवेन्द्र सिंह** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.15 को गनमैन के पद पर सीओ कार्यालय राजगढ़ में कार्यरत था उस रोज सीओ साहब के साथ राजगढ़ से रवाना होकर हरपालू के टी पोईन्ट पर पहुंचे तो हमीरवास एसएचओं ने एक

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

पिकअप नम्बर आरजे 10 जीए-6779 को रोक रखा था जिसको सीओ साहब ने जांचा तो पिकअप में चार ड्रम 200-200 लीटर क्षमता के जिनमें दो लौहे धातु के व दो प्लास्टिक के ड्रम थे। प्रत्येक में 200-200 लीटर डीजल भरा था व दो जरीकन प्लास्टिक में 30-30 लीटर पेट्रोल भरा पाया था। सीओ साहब ने पिकअप चालक से डीजल व पेट्रोल के परिवहन व कब्जा में रखने का लाईसेस पूछा तो नहीं होना बताया जिस पर डीजल, पेट्रोल व पिकअप को जब्त किया। डीजल के प्रत्येक ड्रम से एक बाल्टी में डीजल निकाला व उससे दो बोतल डीजल नमुना सैम्पल निकाले व पेट्रोल जरीकनों से भी दो बोतल बतौर नमुना सैम्पल जांच बाबत निकाला। नमुनों को मौका पर सीलमोहर किया तथा शेष डीजल को उन्हीं ड्रमों व जरीकनों में सील मोहर किया। मौका पर फर्द प्रदर्शपी-1 बनायी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** ईत्तला मिली तब वह राजगढ सी ओ कार्यालय में था । वे हरपालु करीब 6.30 एएम पर पहुचं गये थे जो पिलानी रोड होते हुए गये थे । जरीकन का रंग वह नहीं बता सकता ।

11. **साक्षी पी.डब्ल्यू.2 सुमेर सिंह** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.15 को पुलिस थाना हमीरवास में एच सी के पद पर कार्यरत था उस दिन एस एच ओ श्री मदनलाल के साथ गश्त पर गया था उसके अलावा सुनील कुमार, मुकेश कुमार, महेन्द्र सिंह सरकारी जीप में ड्राइवर हंसराज था, गश्त पर गए थे। दौराने गस्त उन्होंने टी पोईन्ट हरपालू में नाकाबंदी शुरू की दौराने नाकाबंदी सुबह 6.15 ए एम पर कालरी की तरफ से एक पीकप गाडी नंबर आरजे 10 जीए 6779 आई जिसे रुकवाकर चैक किया तो पीछे डाले में तेल के ड्रम भरे हुए मिले, ड्राईवर से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दलीप पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी लोहसना बडा बताया। जिसको गाडी के कागजों के बारे पूछा तो नहीं होना बताया। इस पर थानेदारजी ने पीकअप को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज की गई । श्रीमान थानाधिकारी मदनलाल ने जरिए टेलीफोन वृताधिकारी राजगढ श्रीमान ज्ञानप्रकाश नवल को सूचना दी। सूचना मिलने पर वृताधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित आए जिन्होंने पीकअप गाडी को चैक किया गया तो गाडी में चार ड्रम डीजल के भरे हुए मिले। प्रत्येक ड्रम 200-200 लीटर भरा हुआ था व दो प्लास्टिक के जरिकन जिनमें 30-30 लीटर पेट्राल के भरे हुए मिले जिनके लाइसेंस के बारे में पूछा

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

तो नहीं होना बताया इस पर डीजल व पेट्रोल को मय पीकअप के जब्त किया। जब्त डीजल मे चारों ड्रमों में से एक बाल्टी डीजल निकालकर हिलाया मिलाया व दो बोतलों में जांच हेतू नमूना अलग निकाला। इसी प्रकार पेट्रोल के दोनो जरिकनों में से थोड़ा थोडा पेट्रोल दो बोतलों में बतौर जांच हेतु अलग निकाला। शेष डीजल व पेट्रोल को उन्हीं ड्रमों व जरिकनों में डालकर मोके पर सील मोहर किया पीकअप को जब्त किया। मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्शपी 1 बनाई थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाए थे। जब्तशुदा डीजल, पेट्रोल व पीकअप को मालखाने में जमा करवाया था उस दिन मालखाना इंचार्ज वह था उसने मालखाना रजिस्टर के 283 नंबर पर उक्त डीजल व पेट्रोल दर्ज करने का इंद्रांज किया था।मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्शपी-2 जिसमें ए से बी भाग में अंकित आइटम मालखानें में जमा किए थे। सी से डी व ई से एफ भाग में नमूने व एफ एस एल जमा कराने का इन्द्राज करने का अंकन है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** वह हमीरवास थाने में कब से पोस्टिंग था उसे याद नहीं है । उनकी गाडी का चालक हंसराज था, सरकारी गाडी के नंबर उसे याद नहीं है । उनकी गाडी सडक के किस तरफ खडी थी उसे याद नहीं है । 4.30 बजे से 06.15 बजे एएम तक उन्होंने कितने वाहनों की जांच की उसे पता नहीं है । उक्त पिक अप को किसने रूकवाई उसे आज याद नहीं है । मदनलाल जी ने पिकअप में रखे ड्रमों की कोई जांच नहीं की । यह कहना सही है कि थानेदारजी ने महसूस होने के आधार पर 06.15 एएम पर फोन किया था । अगर 40 लीटर का 60 लीटर किया हो तो वह नहीं बता सकता । यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 2 में बोतले कितने लीटर की थी, अंकन नहीं किया ।

12. **साक्षी पी.डब्ल्यू.3 सुनिल कुमार** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.04.2025 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कानि के पद पर तैनात था उस दिन मदनलाल बिश्नोई एस एच ओ के साथ मय जाप्ता के रवाना होकर टी पोईन्ट हरपालू में नकाबंदी शुरू की दौराने नाकाबंदी सुबह 6.15 ए एम पर कालरी की तरफ से एक पीकप गाडी नंबर आरजे 10 जीए 6779 आई चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दलीप बताया। श्रीमान थानाधिकारी मदनलाल ने जरिए टेलीफोन वृताधिकारी राजगढ श्रीमान ज्ञानप्रकाश नवल को सूचना दी। सूचना मिलने पर वृताधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित आए

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

जिन्होंने पीकअप गाडी को चैक किया गया तो गाडी में चार ड्रम डीजल के भरे हुए मिले। प्रत्येक ड्रम 200-200 लीटर भरा हुआ था व दो प्लास्टिक के जरिकन जिनमें 30-30 लीटर पेट्राल के भरे हुए मिले पेट्रोल व डीजल का नमूना सैम्पल लिये गये । शेष डीजल व पेट्रोल को उन्हीं ड्रमों व जरिकनों में डालकर मोके पर सील मोहर किया पीकअप को जब्त किया। मौके पर फर्द जब्ती प्रदर्शपी 1 बनाई थी जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर करवाए थे। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह सही है कि उस समय ग्रामीण लोगों का आवागमन शुरू हो गया था । जिन स्वतंत्र गवाह को पूछा उनके नाम पता नहीं है, कितने गवाह को पूछा आज उसे याद नहीं है । यह कहना सही है कि रवानगी रोजनामचा में दर्ज है । फर्द प्रदर्शपी 1 किसकी कलमी है वह नहीं बता सकता । उसे पता नहीं कि एस एच ओ ने अभियुक्त की आई डी चेक की हो । उस समय और भी गाडियों को चेक किया था उनके नंबर व चालक का नाम उसे पता नहीं है । बोतल किस धातु की थी उसे पता नहीं है । सैम्पल किसने निकाला था उसे याद नहीं है । यह कहना सही है कि उसने मुल्जिम की तलाशी नहीं ली किसने ली उसे पता नहीं है । उसे पता नहीं कि गाडी के कागज किसने चैक किये । उसके पुलिस में बयान हुये थे उसने अपने बयानों में कहीं नहीं लिखा कि कार्यवाही सी ओ साहब ने की थी ।

13. **साक्षी पी.डब्ल्यू.4 मुकेश कुमार** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 08.4.2015 को पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस दिन एसएचओ मदनलाल के साथ मय जाप्ता के रवाना होकर गश्त के लिये गये थे उन्होंने टी पॉइंट हरपालू में नाका बंदी की थी। दौराने नाकाबंदी कालरी की तरफ से एक पिक अप गाड़ी नंबर आरजे 10 जीए 6779 आयी जिसको रुकवाया और चैक किया चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम दलीप होना बताया। गाड़ी के कागजात के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। गाड़ी को चैक करने पर तेल के ड्रम भरे हुये थे। गाड़ी को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। एसएचओ ने सीओ ज्ञानप्रकाश को सूचना दी जिस पर वे मय जाप्ता के मौके पर आये, जिन्होने चैक किया तो गाड़ी में चार उन डीजल के भरे हुये थे प्रत्येक ड्रम में 200-200 लीटर डीजल था। दो प्लास्टिक के जरीकन थे जिनमें तीस तीस लीटर पेट्रोल भरा हुआ था। चारों

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

बर्मों में से एक बाल्टी में डीजल निकालकर दो बोतलों में नमूना सैम्पल लेकर सील। मोहर किया इसी प्रकार से पेट्रोल में भी नमूना सैम्पल लेकर सील मोहर किया शेष बचे डीजल व पेट्रोल को भी सील मोहर किया फर्द जप्ती मौके पर बनायी जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है, मुलिजम दलीप को मौके से गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 है, उस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, उसके बाद थाने में आ गये फिर मदनलाल एसएचओ ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** प्रदर्श पी 1 उसकी कलमी है यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 में एक्स एवं वाई स्थान पर कटिंग है, कोई भी लघु हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना सही है कि उसके सामने सी आई साहब व सी ओ साहब ने स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया था ।

14. **साक्षी पी.डब्ल्यू.5 महेन्द्र कुमार** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.4.2015 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस दिन एसएचओ मदनलाल विश्नोई के साथ मय जाप्ता के रवाना होकर ए श्रेणी की नाकाबंदी शुरू की गई जो हरपालु से कालरी रोड़ के टी पॉईन्ट पर शुरू की गई। हरियाणा साईड से एक पिक अप नंबर आरजे 10 6779 आई उसको रुकवाया और चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम दलीप होना बताया दलीप ने गाड़ी के कोई कागजात नहीं दिखाये इसलिए धारा 207 एमवी एक्ट में जप्त की गई। पिक अप में पेटोल व डीजल भरा हुआ था इसलिए एसएचओ ने सीओ ज्ञानप्रकाश को सूचना दी जिस पर सीओ मय जाप्ता के मौके पर आया पिक अप को चैक किया तो उसमें डीजल व पेट्रोल था डीजल के दो दो सौ लीटर के चार ड्रम थे 30-30 लीटर के दो छोटे जरीकनों में पेटोल था पेट्रोल व डीजल दोनों का अलग अलग बाल्टियों में निकाल कर एक बाल्टी से दो सैम्प्ल डीजल के व दो सैम्पल पेट्रोल कि लिये गये। जिनको सील मोहर किया। बचे हुये पेट्रोल व डीजल को सील मोहर किया गाड़ी के टूल में गाड़ी के कागजात मिले जिनमे आरसी, इंश्योरेश, फिटनेस, पॉल्युशन कार्ड को कब्जा पुलिस में लिया। फर्द जप्ती बनाई जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम दलीप को गिरफ्तार कर अलग से फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 3 है उस पर भी सी से

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

डी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 पर एक्स व वाई स्थान पर कटिंग है जहां सी ओ साहब के इनीसियल नहीं है । गवाह ने आगे प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने उच्च अधिकारियों के कहने से प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर किया था । नक्शा मौका कितनी तारीख को बनाया उसे याद नहीं है ।

15. **साक्षी पी.डब्ल्यू.6 शीशराम** ने सशपथ कथन किया है कि उसके पास एक पिक अप गाड़ी थी जिसके नंबर याद नहीं है। इस पिक अप को दलीप चलाता था इस बाबत पुलिस ने उसके को नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। इस गाड़ी के कागजात उसने न्यायालय से सुपुर्दगी पर ले लिये है। आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4 है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** प्रदर्शपी 3 पुलिस ने उसे कितनी तारीख को दिया उसे याद नहीं है । घटना के समय दलीप के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उसकी गाडी को चला रहा हो तो उसे पता नहीं है ।

16. **साक्षी पी.डब्ल्यू.7 सुनिता** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.04.2015 को पुलिस थाना हमीरवास में कानि. के पद पर तैनात थी उस दिन मालखाना इंचार्ज सुमेरसिंह एचसी ने दो बोतल नमूना सैंपल सील्डशुदा हालात में उसे दी थी, जो मार्क ए और सी थी। मुझे एफएसएल कार्यालय जोधपुर में जमा कराने के लिए कहा गया। जिस पर एसपी कार्यालय चूरू पंहुचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाया व दूसरे दिन एफएसएल कार्यालय जोधपुर पंहुंचकर सील्डशुदा हालात में जमा कराकर प्राप्ति रसीद लाकर पेश की थी। अग्रेषण पत्र प्रदर्श 05 है उस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श 06 है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** बोतल पर किस चीज की सील लगी हुई थी उसे याद नहीं है । सील प्लास्टिक की थी या कांच की वह नहीं कह सकती ।

17. **साक्षी पी.डब्ल्यू.8 मदनलाल** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.04.2015 को वह पुलिस थाना हमीरवास में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज वक्त 01:30 एएम पर वह मय जाप्ता मय जीप सरकारी चालक के वास्ते करने गश्त व ए श्रेणी नाकाबंदी मुताबिक आदेश श्रीमान

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

एसपी साहब के रवाना हरपालू को हुआ। थाने से उसकी रोजनामचा में रवानगी रपट प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। हरपालू पहुंचकर गय जासा नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी सुबह करीब 6 बजे कालरी की तरफ से एक पिकअप गाडी नंबर आर जे 10 जीए 6779 आई जिसको रुकवाकर चैक किया गया। पिकअप के डाला में पेट्रोल व डीजल से भरे ड्रम रखे हुए थे। वाहन चालक दलीप से पिकअप गाड़ी के कागजात मांगे गये तो कोई कागजात नहीं होने पर वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में जप्त किया गया। जिसका सीजर मेमो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सी से डी स्थान पर आरोपी दलीप के हस्ताक्षर है। वाहन को जप्त कर मौके की कार्यवाही हेतु तत्कालीन वृताधिकारी राजगढ़ ज्ञानप्रकाश नवल को संपूर्ण हालात निवेदन किये। तत्पश्चात सीओ साहब राजगढ़ द्वारा मौके पर पंहुंचकर पिकअप गाड़ी को चैक किया गया। पिकअप के डाला में 04 ड्रम डीजल व दो जरीकन पेट्रोल के भरे हुए मिले। पिकअप चालक दलीप पुत्र शीशराम निवासी लोहसना बडा ने पेट्रोल व डीजल हरियाणा से खरीदकर लाना बताया। डीजल के प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल व पेट्रोल से भरे जरीकन में प्रत्येक में 30-30 लीटर पैट्रोल होना बताया था। सीओ साहब द्वारा परिवहन बाबत लाइसेंस परमिट का पूछा था तो चालक ने नहीं होना बताया था आरोपी दलीप का कृत्य धारा 03/07 ईसी एक्ट के तहत दडनीय होने पर पैट्रोल व डीजल को कब्जा पुलिस में लिया जाकर डीजल से भरे चारों ड्रमों में से डीजल एक बाल्टी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाला जाकर उक्त बाल्टी में से दो बोतल बतौर सैंपल व कट्रॉल सैंपल लेकर सील मुहर कर कमशः मार्क ए और बी अंकित किया था। पैट्रोल से भरे दोनों जरीकनों में से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैट्रोल बाल्टी में निकाला जाकर बाल्टी में से दो बोतल पेट्रोल बतौर सैंपल व कंट्रोल सैंपल लेकर सील मुहर कर गार्क सी व डी अंकित किया था। शेष बधां डीजल व पैट्रोल उन्हीं ड्रम व जरीकनों में सील मुहर कर कमशः मार्क ई व एफ अंकित किया। मौके की संपूर्ण कार्यवाही श्रीमान सीओ साहब राजगढ़ द्वारा मौके पर संपन्न कर फर्द प्रदर्श पी 01 तैयार कर मेरे सुपुर्द की थी जिस पर के से एल स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। थाना पहुचकर प्रदर्श पी 01 पर एम से एन स्थान पर कायमी मुकदमा का पृष्ठांकन कर अनुसंधान उसके द्वारा शुरू किया गया था। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। थाना पर उसकी वापसी बाबत रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी स्थान घर बतौर प्रमाणीकरण मेरे हस्ताक्षर है। थाना पंहुच वजह सबूत मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये व गिरफतार शुदा आरोपी को बंद हालात सुपुर्द संतरी को किया गया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 तैयार किया गया जिस पर ए से बी स्थान पर मुकेश कुमार व सी से डी स्थान पर ज्ञान प्रकाश नवल व ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी 04 ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। वाहन के रजिस्टर्ड मालिक शीशराम को उसके द्वारा दिया गया धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी वाहन मालिक शीशराम द्वारा दिया गया जवाब व ए से बी स्थान पर शीशराम के हस्ताक्षर है। मुकदमा में जप्तशुदा सैपल का रासायनिक परीक्षण करवाने हेतु श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय से जारी अग्रेषण पत्र जो प्रदर्श पी 05 जारी करवाया जाकर जरिये प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 06 एफएसएल में जमा करवाया गया। एफएसएल कैरियर की थाने से खानगी व वापसी बाबत रोजनामंचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 11 व 12 है जिन पर ए से बी स्थान पर उसके द्वारा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 02 है जो शामिल पत्रावली की गई जिस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाहान सुमेर सिंह सुनिल कुमार मुकेश कुमार महेन्द्र कुमार ज्ञान प्रकाश नवल देवेन्द्र सिंह एवं सुनिता के बयान उनके बोले अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श 13 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम दलीप पुत्र शीशराम निवासी लोडसना बड़ा के खिलाफ जुर्म धारा 03/07 ईसी एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि जप्ती स्थल सडक आम है जिस पर आवागमन रहता है । यह कहना सही है कि सी ओ साहब ने उसके सामने किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र मोतवीर बनने के लिये लिखित में नोटिस नहीं दिया था । यह कहना सही है कि जप्ती स्थल के आस पास के किसी भी दुकानदार से कोई अनुसंधान नहीं किया गया और ना ही कोई बयान लेखबद्ध किये गये ।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

18. **साक्षी पी.डब्ल्यू.9 ज्ञानप्रकाश नवल** दिनांक 08.04.2015 को सीओ राजगढ के पद पर तैनात था उस दिन उसे 6 बजकर 15 एएम पर एसएचओ हमीरवास मदनलाल विश्नोई द्वारा यह अवगत करवाया गया कि एक पिक अप गाडी नंबर आरजे 10 जीए 6779 को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया है जिसमें अवैध डीजल व पेट्रोल भरा हुआ है। तत्पश्चात मेरे द्वारा मौके पर पहुंच कर नियमानुसार फर्द बरामदगी 800 लीटर डीजल व 60 लीटर पेट्रोल व पिक अप गाडी आरजे 10 जीए 6779 को जरिये फर्द बरामद किया गया। पिक अप चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दलीप होना बताया और जब उससे उक्त डीजल पेट्रोल परिवहन करने बाबत लाईसेंस पूछा तो उसने लाईसेंस नहीं होना बताया। डीजल पिक अप गाड़ी में था जो कुल चार बडे बडे ड्रमों में था जिसमें दो प्लास्टिक व दो लौहे के ड्रम थे जिसमें कमशः 200-200 लीटर डीजल होना बताया था व दो जरीकन में तीस तीस लीटर पेट्रोल होना बताया तत्पश्चात सभी ड्रमों में से एक बाल्टी में डीजल निकाला जाकर दो बोतल सैम्पल लिये जो एक सैम्पल व एक कन्ट्रोल सैम्पल लिये व सील मोहर किये व मार्क ए व बी अंकित किया, इसी प्रकार पेट्रोल को बाल्टी में निकाल कर दो बोतल में एक सैम्पल व एक कंट्रोल सैम्पल लिये व सील मोहर किये व मार्क सी व डी अंकित किया। बाकी चारों ड्रमों को सील मोहर कर मार्क ई अंकित किया। पेट्रोल वाले जरीकन को सील मोहर कर मार्क एफ अंकित किया। गाडी का निरीक्षण करने पर गाडी की टूल में एक आरसी, इश्योरेस, फिटनेश, प्रदूषण कार्ड मिले जिनको कब्जा पुलिस लिया फर्द जप्ती मौके पर बनायी जो प्रदर्श पी 1 है उस पर ओ से पी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम दलीप को गिरफ्तार किया उसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 है उस पर भी ई से एफ उसके व जी से एच मुल्जिम दलीप के हस्ताक्षर है। जो कागजात जप्त किये थे वह माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी पर दिये जा चुके है। फर्द जप्ती अग्रिम अनुसंधान हेतु एसएचओ को सुपुर्द कर दी। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यही सही है कि 207 एम वी एक्ट के तहत सीज करने के दस्तावेज उसके द्वारा पत्रावली में शामिल नहीं किये गये । वह मौके पर जिस सरकारी वाहन से गया था उसके नंबर उसे याद नहीं है । यह सही है कि सरकारी वाहन की लॉगबुक भरी जाती है । यह कहना सही है कि पेट्रोल व डीजल के संबंध में उसने कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं कर रखी है । घरेलू व अपने निजी काम के लिये कोई व्यक्ति

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कितने लीटर डीजल रख सकता है उसे पता नहीं है ।

19. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया । इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि हस्तगत प्रकरण तत्कालीन सी ओ राजगढ श्री ज्ञानप्रकाश नवल द्वारा पेश मूल फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 के आधार पर संस्थित किया गया था । जिसमें उक्त डीजल और पेट्रोल मय पिकअप गाडी अभियुक्त दलीप पुत्र शीशराम निवासी लोहसना बडा पुलिस थाना दुधवाखारा जिला चूरू (राज.) के कब्जे से बरामद होना बताया गया है । महत्वपूर्ण है कि जिस स्थान से बरामदगी की गई है उसके पास ही आम सडक पर कुलदीप जाट, ओमप्रकाश जाट, शीशराम की दुकानों के होने बाबत अंकित फर्द नक्शा हालात मौका प्रदर्श पी 4 में किया गया है । जिसमें पुलिस थाना हमीरवास के कानिस्टेबल मुकेश कुमार, महेन्द्र कुमार गवाह है । इस फर्द में दिनांक 08.04.2015 में मुर्तिब होना अंकित है, लेकिन इसमें समय का उल्लेख नहीं है । साथ ही स्वतंत्र साक्षीगण को तलब करने के लिए कोई लिखित तहरीर जारी की गई है ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा न्यायालय में परीक्षित साक्षीगण में पीडब्ल्यू 01 देवेन्द्र सिंह तत्कालीन गनमैन सी ओ राजगढ है जो वक्त कार्यवाही साथ में था । इस गवाह ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मौके की कार्यवाही हो रही थी तब वह वाहन के पास खडा था और कुछ दूरी पर था । पीडब्ल्यू 02 सुमेर सिंह है जो कि वक्त घटना पुलिस थाना हमीरवास हेडकानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था ।

<u>जाब्ते द्वारा की गई कार्यवाही के समय यह मौके पर था इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पर नोट डालने बाबत आपत्ति हुई थी जो कि बरवक्त बहस अंतिम की स्टेज पर निस्तारित की जानी थी । इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि मालखाना रजिस्टर एक लोक दस्तावेज है तथा इसकी प्रमाणित प्रति सम्यक अभिरक्षा से अभियोजन दस्तावेज के रूप में पेश की गई है इसलिए लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रथमदृष्टया साक्ष्य में सुसंगत और ग्राह्य है इसलिए अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श अंकित करने पर जो आपत्ति की गई थी वह खारिज की जाती है ।</u>

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

आपत्ति का एतद द्वारा निस्तारण किया जाता है ।

20. उक्त गवाह भी हितबद्ध साक्षी है इसके अतिरिक्त पीडबल्यू 03 सुनील कुमार तत्कालीन कानिस्टेबल पुलिस थाना हमीरवास है उक्त गवाह ने भी तत्कालीन सी ओ राजगढ श्री ज्ञानप्रकाश नवल द्वारा की गई कार्यवाही में साथ होना बताया तथा प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि उस समय ग्रामीण लोगों का आवागमन शुरू हो गया था । जिन स्वतंत्र गवाह को पूछा उनके नाम पता नहीं है, कितने गवाह को पूछा आज उसे याद नहीं है । यह कहना सही है कि रवानगी रोजनामचा में दर्ज है । पीडबल्यू 04 मुकेश कुमार तत्कालीन कानिस्टेबल पुलिस थाना हमीरवास है इस गवाह ने भी जाब्ते द्वारा की गई कार्यवाही को अपने मुख्य परीक्षण में ताईद किया है । प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 1 उसकी कलमी है यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 में एक्स एवं वाई स्थान पर कटिंग है, कोई भी लघु हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना सही है कि उसके सामने सी आई साहब व सी ओ साहब ने स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया था । पीडबल्यू 05 महेन्द्र कुमार तत्कालीन कानिस्टेबल पुलिस थाना हमीरवास है इस गवाह द्वारा जाब्ते की कार्यवाही को अपने मुख्य परीक्षण में ताईद किया गया था एवं प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 पर एक्स व वाई स्थान पर कटिंग है जहां सी ओ साहब के इनीसियल नहीं है । गवाह ने आगे प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने उच्च अधिकारियों के कहने से प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर किया था । इसके फलस्वरूप पीडब्लयू 06 शीशराम है जो कि अभियुक्त दलीप का पिता जिसके द्वारा पिकअप गाडी को न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने संबंधी साक्ष्य अदा की गई है । पीडब्ल्यू 07 तत्कालीन कानिस्टेबल सुनिता पुलिस थाना हमीरवास है इसके द्वारा नमूना सेंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 6 एच एम मालाखाना सुमेर सिंह को सौंपी गई थी । गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि बोतल पर किस चीज की सील लगी हुई थी उसे याद नहीं है । सील प्लास्टिक की थी या कांच की वह नहीं कह सकती । पीडबल्यू 08 मदनलाल है यह गवाह प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जिसके द्वारा अनुसंधान की औपचारिकता पूर्ण कर न्यायालय में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियुक्त दलीप के विरूद्ध आरोप पत्र

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

न्यायालय में पेश किया गया ।

21. उपरोक्त के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में रवानगी रपट एवं आमद रपट संबंधी मूल रोजनामचा रजिस्टर न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं करवाया गया तथा द्वितीयक साक्ष्य पेश करवाने के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व ही रोजनामचा रजिस्टर की प्रतियों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया इसलिए इन्हें साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता, क्योंकि साक्ष्य विधि का सिद्धांत है कि सर्वोतम साक्ष्य पेश की जानी चाहिए (Best Evidence Must be Produced) प्रकरण में स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है । सभी गवाहान पुलिस विभाग के कार्मिक है जो कि हितबद्ध साक्ष्य अदा करते है । नमूना सैंपल जो दो बोतल में पीडबल्यू 07 सुनिता के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा कराने हेतु भेजा गया था इसमें थानाधिकारी का अग्रेषण पत्र जो कि एस पी कार्यालय हेतु जारी किया गया था वह अभियोजन दस्तावेज के रूप में पेश नहीं किया गया ।

22. जहां तक वाहन की रजिस्टर्ड मालिक शीशराम को धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 3 है । इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि यह नोटिस मोटरयान अधिनियम 1988 के मामलों में, दुर्घटना से संबंधित मामलों में ही सुसंगत है । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 133 एम वी एक्ट के नोटिस का प्रावधान कतई लागू नहीं होता है ।

23. अतः न्यायालय के विनम्र मत में बरामदगी कार्यवाही संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है एवं अनुसंधान में लिंक साक्ष्य पूरी तरह साबित नहीं है । कोई स्वतंत्र गवाह अभियोजन साक्षीगण की सूची में नहीं है ।

24. अंततः पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 08.04.2015 को समय 06.35 ए.एम. पर स्थान ग्राम हरपालू में आपकी

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कब्जेशुदा पीकअप आर.जे. 10 जीए 6779 में चार ड्रम में भरा कुल 800 लीटर डीजल तेल व दो जरीकेन में भरा कुल 60 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ, जिसको कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत आपके पास कोई लाईसेन्स अथवा परमिट नहीं पाया गया। बरामदशुदा डीजल/पेट्रोल राजस्थान पट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1990 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी राजस्थान राजपत्र एफ 17 (24) खा.वि./विधि/90 दिनांकित 11.04.2005 में तय मात्रा से अधिक है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

25. अतः अभियुक्त दलीप पुत्र शीशराम उम्र 31 साल, निवासी लोहसना बडा पुलिस थाना दुधवाखारा जिला चूरू (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

26. जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निस्तारण किया जाये ।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

27. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)